

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 1965/ज्येष्ठ 12, 1887

No. 60]

NEW DELHI WEDNESDAY, JUNE 2, 1965/JYAISTHA 12, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION.

New Delhi, the 2nd June, 1965

No. RS. 1/3/65-L.—The following order by the President, dated the 1st June, 1965, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11-00 A.M. on Monday, the 16th August, 1965, at New Delhi.

NEW DELHI;
The 1st June, 1965.

S. RADHAKRISHNAN,
President."

B. N. BANERJEE, Secy

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1965

संख्या आर० एस० 1/3/65-एल०—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 1 जून, 1965, आम सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद् द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 16 अगस्त, 1965 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिये आमंत्रित करता हूँ।

नई दिल्ली;
1 जून, 1965

एस० रामाकृष्णन्,
राष्ट्रपति।

बी० एन० बनर्जी,
सचिव।